

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग,
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(19)सू.अधि./पवि/2012 /

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1)(2) एवं 19(1) राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 26(2) के अनुसरण में निदेशालय पर्यटन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निम्नानुसार कार्यालयवार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी मन्वीत/नियुक्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	विभाग के अधीनस्थ कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, अजमेर एवं पर्यटक स्वागत केन्द्र, अजमेर	उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, अजमेर	निदेशक, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
2.	क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, जोधपुर एवं पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर	उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, जोधपुर	- उपरोक्तानुसार -
3.	क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, कोटा एवं पर्यटक स्वागत केन्द्र, कोटा	उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, कोटा	- उपरोक्तानुसार -
4.	क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर एवं पर्यटक स्वागत केन्द्र, उदयपुर	उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर	- उपरोक्तानुसार -
5.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, अलवर	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, अलवर	- उपरोक्तानुसार -
6.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर	उप निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर	- उपरोक्तानुसार -
7.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर	उप निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर	- उपरोक्तानुसार -
8.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़	- उपरोक्तानुसार -
9.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर	- उपरोक्तानुसार -
10.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जैसलमेर	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जैसलमेर	- उपरोक्तानुसार -
11.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, झालावाड़	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, झालावाड़	- उपरोक्तानुसार -
12.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, झुन्झुनू	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, झुन्झुनू	- उपरोक्तानुसार -
13.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, सर्वाई माधोपुर	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, सर्वाई माधोपुर	- उपरोक्तानुसार -
14.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, माउण्ट आबू	सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, माउण्ट आबू	- उपरोक्तानुसार -
15.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली	अतिरिक्त निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली	- उपरोक्तानुसार -
16.	पर्यटक सूचना केन्द्र, बांसवाड़ा	पर्यटक अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, बांसवाड़ा	- उपरोक्तानुसार -
17.	पर्यटक सूचना केन्द्र, बुंदी	पर्यटक अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, बुंदी	- उपरोक्तानुसार -
18.	पर्यटक सूचना केन्द्र, कोलकाता	सहायक निदेशक, पर्यटक सूचना केन्द्र, कोलकाता	- उपरोक्तानुसार -

19.	पर्यटक सूचना केन्द्र, मुम्बई	कार्यालय प्रभारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, मुम्बई	- उपरोक्तानुसार -
20.	पर्यटक सूचना केन्द्र, चेन्नई	कार्यालय प्रभारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, चेन्नई	- उपरोक्तानुसार -

उपर्युक्तानुसार मनोनीत/नियुक्त लोक सूचना अधिकारी संबंधित कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में अपने स्तर पर सूचना उपलब्ध करावेंगे।

यह आदेश प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमांक प.26(6)पर्यटन/विकिध/2014 दिनांक 15.12.2015 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

ह

(अनिल कुमार चपलोट)

निदेशक

दिनांक: 5/2/16

क्रमांक: एफ 8()सू.अधि./पवि/2012 / 33260 - 88
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार), राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (विकास) पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
9. एसीपी (उप निदेशक), निदेशालय पर्यटन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय/पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र, अजमेर/अलवर/वांसवाडा/भरतपुर/बीकानेर/बूंदी/चित्तौड़गढ़/जयपुर/जैसलमेर/झालावाड़/झुंझुनू/जोधपुर/कोटा/सवाई माधोपुर/उदयपुर/माउण्ट आबू/कोलकाता/नई दिल्ली/चेन्नई/मुम्बई।
11. रक्षित पत्रावली।

Jan

(अश्वि शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)